न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 47/2024

वादीया :– श्रीमति लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री स्व.श्री बंशीलाल पत्नी रामेश्वर लाल जाति मोची निवासी ग्राम भावी हाल निवास मोचिवाडा सदर बाजार कुम्हारों की गली बिलाडा तहसील बिलाडा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. आशा पुत्री स्व. बंशीलाल
2. उर्मिला पुत्री स्व.बंशीलाल
3. चन्द्रकांता पुत्री स्व. बंशीलाल
4. जयश्री पुत्री स्व. बंशीलाल
5. पूनम पुत्री स्व. बंशीलाल
6. कमलादेवी पत्नी स्व. बंशीलाल
7. सुमन पत्नी स्व. विरेन्द्र
8. योगेश पुत्र स्व. विरेन्द्र
9. अनन्या पुत्री स्व. विरेन्द्र
10. हर्षिता पुत्री स्व. विरेन्द्र
11. डिम्पल पुत्री स्व. विरेन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुमन पत्नी स्व. विरेन्द्र जातियान मोची निवासीगण ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा
12. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादी की ओर से श्री अरिहंत तातेड एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. – 1 से 11 की ओर से श्री हनुमानराम चौधरी एडवोकेट।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः–** 27/08/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 उपरोक्त पते के निवासी है तथा भारतीय नागरिक है।ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1566 रकबा 0.7281 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 115 पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज है। जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा निहित व दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को वाद के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार विरेन्द्र पुत्र बंशीलाल का दिनांक 10.01.2020 को देहान्त हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 से 11 है। मृतक विरेन्द्र का फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही की जानी शेष है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीया का उपरोक्त 1\8 वॉ हिस्सा वादीया के पिता श्री बंशीलाल पुत्र श्री गुटारामजी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2098 के जरिये वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ। तब से वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीया बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीया के पिता स्व. बंशीलाल का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2098 भरते समय हल्का पटवारी द्वारा वादीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा वादीया के सरकारी दस्तावेजों की जॉच किये बिना ही वादीया को घर पर बोले जाने वाला नाम शशिकान्त के नाम से स्व. बंशीलाल जी का फौतेदगी म्यूटेशन भर दिया। जबकि वादीया के अन्य सभी सरकारी दस्तावेज पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, जन आधारकार्ड वगैरा में वादीया का सही नाम लक्ष्मी देवी चौहान दर्ज है। जो दोनो नाम वादीया के है तथा वादीया को उक्त दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। जिसके सम्बंध में वजह सबूत के तौर पर वादीया के शादी के कार्ड की प्रति संलग्न है, जिसमें वादीया का नाम लक्ष्मी (शशिकान्ता) लिखा हुआ है। कि वादीया जब वादग्रस्त कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मेनेजर साहब के पास गयी तो बैंक मैनेजर ने वादीया के सरकारी दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी को देखकर वादीया को ऋण देने से इन्कार कर दिया तथा वादीया को कहा कि आप राजस्व रेकर्ड में दर्ज आपका नाम शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री बंशीलाल दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करवाने के पश्चात् ही आपको ऋण दिया जायेगा। जिस पर वादी ने दिनांक 14.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 12 के कार्यालय में राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया. जिस पर प्रतिवादी संख्या 12 ने वादी का प्रार्थना पत्र वादी को यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में शशिकान्त दर्ज है, जो नाम स्व. बंशीलाल जी के फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये दर्ज हुआ है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 12 उक्त अशुद्ध नाम को शुद्ध नहीं कर सकता है तथा कहा कि आपके अन्य सरकारी दस्तावेज में आपका नाम लक्ष्मी देवी चौहान दर्ज है, जिसकी दुरूस्ती माननीय न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादीया को वादकारण दिनांक 14.03.2024 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 12 ने वादीया के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम शशिकान्त के स्थान पर वादीया का सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम लक्ष्मी देवी चौहान दर्ज करने से इन्कार कर दिया, जिस पर वादकारण बमुकाम् ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतन जारी है। वादग्रस्त भूमि ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित होने से तथा उपरोक्त वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का होने से उपरोक्त वाद को सुनकर निस्तारण करने का न्यायालय श्री को पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः वादीया द्वारा वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 1566 रकबा 0.7281

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीया का नाम शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर वादीया के सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम लक्ष्मी देवी चौहान की घोषित की जाकर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश जारी फरमावे। अनुतोष जो वादीया पाने के अधिकारी हो वादीया के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 11 की ओर श्री हनुमानराम चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। मृतक विरेन्द्र का फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही की जानी शेष है। वाद पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वादीया का सही नाम लक्ष्मी देवी चौहान है तथा वादीया को घर परिवार में इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है तथा वादीया के समस्त सरकारी दस्तावेजों में भी वादीया का नाम लक्ष्मी देवी चौहान दर्ज है। वाद पत्र के पद संख्या 6 व 7 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद सं. 8 से 10 में वर्णित तथ्य कानूनी है। वाद पत्र में पद सं. 11 में प्रार्थना वादी है जो सही होने से स्वीकार है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 1566 रकबा 0.7281 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज वादीया का नाम शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर वादीया के सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम लक्ष्मी देवी चौहान किया जाता है तो इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। अपितु इसमें प्रतिवादीगण सहमत है। प्रतिवादी सं. 12 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादिया की संयुक्त खातेदारी खसरा नंबर 1566 रकबा 0.7281 हैक्टयर आई हुई है, जिसमें वादिया का नाम 1/8 हिस्से में शशिकान्त पुत्री बंशीलाल दर्ज है। वादिया का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत नामा. सं. 2098 भरे जाने पर दर्ज हुआ। जिसमें वादिया का शशिकान्त पुत्री बंशीलाल 1/8 हिस्से में दर्ज हुआ। वादिया द्वारा सरकारी दस्तावेज पेनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम लक्ष्मी देवी चौहान होना बताया। पद सं. 4 से 6 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 8 से 10 का जवाब कानूनी है। वादीया का ईस्तदुआ है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादिया का शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर लक्ष्मीदेवी चौहान पुत्री बंशीलाल किये जाने का आदेश फरमावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावी सीरवी बास के खसरा नम्बर 1566 रकबा 0.7281 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज वादीया का नाम शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर सही नाम सरकारी दस्तावेज अनुसार लक्ष्मीदेवी चौहान पुत्री बंशीलाल किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र लक्ष्मीदेवी चौहान पुत्री बंशीलाल का पेश किया गया।

वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 म्यूटेशन सं. 2098 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की ई–प्रति, प्रदर्श 3 विवाह का मूल कार्ड, प्रदर्श 4 आधारकार्ड वादिया, प्रदर्श 5 पैनकार्ड वादिया के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वांदी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड लक्ष्मी देवी चौहान, प्रदर्श 2 पैनकार्ड लक्ष्मी देवी चौहान, प्रदर्श 3 शादी का कार्ड लक्ष्मी देवी चौहान आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादिया के सरकारी दस्तावेजात में वादिया का नाम लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री बंशीलाल दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के नाम से दर्ज है। वादिया अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादिया के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री बंशीलाल की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री बंशीलाल किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। एवं प्रतिवादी सं. 1 से 11 ने वादिया का नाम शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री बंशीलाल किये जाने पर कोई आपति नहीं है। इसलिए वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी सीरवीबास के खसरा नंबर 1566 रकबा 0.7281 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री बंशीलाल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/03/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादिया :– श्रीमति लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री स्व.श्री बंशीलाल पत्नी रामेश्वर लाल जाति मोची निवासी ग्राम भावी हाल निवास मोचिवाडा सदर बाजार कुम्हारों की गली बिलाडा तहसील बिलाडा

बनाम

प्रतिवादीगण :– आशा वगैराह।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 47 / 2024

<u>निर्णय</u> **दिनांक** :– 27/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अरिहंत तातेड अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 11 की ओर से श्री हनुमान राम चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 12 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी सीरवीबास के खसरा नंबर 1566 रकबा 0.7281 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में शशिकान्त पुत्री बंशीलाल के स्थान पर लक्ष्मी देवी चौहान पुत्री बंशीलाल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा